रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1981/श्रावण 19, 1903

No. 156] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1981/SRAVANA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1981

सार्वजनिक सूचना संख्या 62-ईटीसी (पी एन)/81

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1-1-1982 से 31-12-1982 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा, स्वीडन, और फिनलैण्ड को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत सूत के कुछ कपड़ों और/या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात के लिए योजना—

1. योजना

1. **मिसिल सं. 2/41/81-ई-1** .—यह योजना 1-1-82 से 31-12-82 तक की अवधि के लिए (1) संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, यू.के. आयरलैण्ड, डेनमार्क और ग्रीस) स्वीडन और कनाडा को सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों और (2) फिनलैण्ड को सूत और मनुष्य निर्मित धागों के कुछ कपड़ों और/या तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है।

2. उत्पाद विस्तार और कोटा प्रदान करने के लिए अभिकरण

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद से उपलब्ध है। जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिए जाएं सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) सभी कपड़ों और बने-बनाए सामानों के लिए कोटे का आबंटन करेगी। किन्तु वह ऊनी कपड़ों और बने-बनाए सामानों का आबंटन नहीं करेगी, इसके लिए कोटे का आबंटन ऊन और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। लेकिन, ऊनी वस्त्रों और तैयार माल सहित सभी प्रकार के वस्त्रों और बने बनाए सामानों के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कोटा आबंटन और प्रमाणन के संबंध में और किसी अन्य अभिकरण को किसी भी काम के भाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में जैसा उचित समझे परिवर्तन करेगी।

कोटा आबंटन की प्रक्रिया और कोटा वर्ष का विभाजन

यहां कोटा आबंटन की 3 प्रणालियां होंगी।

3.1 **25% के वार्षिक स्तर का आबंटन भूत काल के निष्पा-**

वन के आधार पर किया जाएगा । शेष (वार्षिक स्तर का 75%) भाग का आबंटन "पहले आए सो पहले पाए" की संविदा आरक्षण के आधार पर और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर क्रमशः 55: 45 के अनुपात में किया जाएगा । भूत कालीन निष्पादन के आधार पर आबंटन के उद्देश्य के लिए 1-1-82 से 30-9-82 तक एक एकल अवधि होगी । लेकिन, "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के लिए कोटा वर्ष की छः-छः महीनों की दो अवधियों में बांटा जाएगा जो 1-1-82 से 30-6-82 और 1-7-82 से 31-12-82 होगी । इन खण्डों ("पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल) के अन्तर्गत 60% कोटा पहले की आधी अवधि में और 40% दूसरी आधी अवधि में उपलब्ध होगा ।

3.2 **भूत कालीन निष्पादन कोटा**

(क) **हकदारियों के निर्धारण के लिए अभिकरण** : प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन प्रक्रिया के अधीन कोटे की हकदारी की गणना करने वाला अभिकरण सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई होगा । इस संबंध में वस्त्र आयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और कार्य का निरीक्षण करेंगे ।

(ख) आधार अवधि खण्डवार-प्रत्येक देश के श्रेणी समूह के लिए कोटे का नियतन 1980 के औसत निर्यात के आधार पर किया जाएगा और जनवरी से जून, 1981 के दौरान की अवधि को पूरे वर्ष के रूप में गिना जाएगा ।

(ग) **खण्डवार आबंटन** :—भूतकालीन निष्पादन प्रक्रिया के अधीन प्रत्येक निर्यातक की हकदारी का नियतन यथानुपात के आधार पर, प्रत्येक खण्ड में प्रत्येक देश की श्रेणी में उसके निष्पादन जैसे हथकरघा, मिल से तैयार/शक्तिचालित करघे से तैयार के संदर्भ में किया जाएगा ।

(घ) **कोटा अवधि** :—इस प्रक्रिया के अधीन 1 जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक एकल कोटा अवधि होगी ।

(ङ) भूतकालीन निष्पादन कोटे के मद्दे कोटा पृष्ठांकन निष्पादन बाण्ड के अधीन नहीं होना चाहिए बशर्ते कि माल 30-4-82 से पहले लादा गया हो । 30-4-82 के बाद रोके रखे गए कोटे के लिए, निर्यातकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे या तो 31-5-82 तक बैंक गारन्टी निष्पादित करें या उस तिथि से पूर्व आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में कोटा अभ्यर्पित करें ।

(च) भूतकालीन निष्पादन कोटे के पोत बणिकों को बैंक गारन्टी निष्पादित करते समय समुद्र पार क्रेता संविदा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा । बैंक गारण्टी का निष्पादन 30-4-82 के बाद किन्तु 31-5-82 से पूर्व करेंगे । 30 अप्रैल, 1982 के बाद किन्तु बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने से पूर्व के (जो 31-5-81 से पूर्व की जानी चाहिए) किए गए पोतलदान बैंक गारण्टी के आधार पर नहीं होंगे ।

(छ) भूतकालीन निष्पादन कोटा का हस्तान्तरण:—निम्न-लिखित शर्तों के आधार पर भूतकालीन निष्पादन कोटा हस्तान्तरणी होगा :—

(1) वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपने कोटे के किसी भी हिस्से का हस्तान्तरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा ।

(2) हस्तान्तरित मात्रा उस हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में माना जाएगा जो वास्तव में माल का लदान करता है।

(3) हस्तांतरी के पास का कोटा उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जो हस्तान्तरक के पास के कोटे के लिए लागू हैं ।

(4) कोई निर्यातक, जिसने अपना कोटा विशेष श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक को हस्तांतरित कर दिया है वह उसी श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक से अपने लिए कोटे के हस्तांतरण के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) विशेष देश/श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन कोटे का हस्तांतरण उस निर्यातक के लिए अनुमेय नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा हो ।

3.3. **"पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा**

।।पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण के आधार पर कोटा आबंटन के लिए निर्यातक को आवेदनपत्र के साथ जहां आबंटन की यूनिट किलोग्राम में होता है तो सभी श्रेणियों/देशों के मामले में 50 पैसे/किलोग्राम की दर पर, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की वस्त्र श्रेणियों में समतुल्य 5 पैसे/वर्ग गज की दर पर और यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को रुमालों के निर्यातों के मामले में 12 पैसे प्रति रुमाल की दर पर परिगणित मूल्य के लिए बैंक गारन्टी द्वारा सम्भरित निष्पादन बांड देना होगा । अन्य सभी संबंधित श्रेणियों/देशों के लिए लागू होने वाली दर की घोषणा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा की जाएगी । इस खण्ड के अन्तर्गत पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन 21 दिन की अवधि के लिए बैध होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि संबद्ध कोटा अवधि समाप्त होने की तिथि से पूरे 10 दिनों से अधिक के लिए किसी भी कोटा अवधि के दौरान किया गया कोई भी पृष्ठांकन बैध होगा ।

3.4. **"पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल**

"पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर कोटे के आबंटन के मामले में निर्यातक का जहां कहीं भी लागू हो, वस्त्र समिति का निरीक्षण पत्र, ए. आर.-4/ए. आर.5 प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे । "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर कोटा आबंटन के मद्दे लदान कोटा पृष्ठांकन की तारीख से पूरे 10 दिनों के भीतर करना पड़ेगा । लेकिन वस्त्र आयुक्त के विशेष प्रमाणन के आधार पर वैध कारणों से कुछ विशेष मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

4. **कोटो का खण्डवार आरक्षण**

4.1 जहां पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे के कोटे मिश्रित किए जाते हैं, ऊनी और संश्लिष्ट सामानों के लिए आरक्षण विशेष मात्राओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा । वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत वर्ष के पैटर्न और चालू वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों से पक्की जरूरी प्राप्त करने के बाद किया जाएगा । इस प्रकार निर्धारित मात्रा मांग की प्रवृत्ति को देखते हुए आशोधित किया जाएगा ।

4.2. उन मामलों में जहां हथकरघा और मिल निर्मित मदों को आबंटन के विचार से एक में मिला दिया जाता है तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिए हथकरघा का अनुपात 2:1 होगा और अन्य कोटा संविदा के लिए 1:1 का अनुपात होगा। मांग की प्रवृत्ति के अनुसार यह अनुपात संशोधित किया जा सकता है ।

5. **धीमी रफ्तार की मदें**

5.1. वर्ष 1981 के दौरान पालन की गई प्रक्रिया के अनुसार धीमी रफ्तार वाली मदों के मामले में बैंक गारंटी और निक्षेप से संबंधित व्यवस्थाएं समाप्त कर दी जाएंगी और विशेष रूप से उन मदों के मामले में जिन्हें वस्त्र आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहले किए गए निर्यातों और वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर अभिज्ञात किया गया है ।

5.2. अभिज्ञात की गई धीमी रफ्तार वाली मदों के लिए आवेदक को बिना किसी बैंक जारंटी के या नकद निक्षेप के टैक्सप्रोसिल द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

6. **कोटे का उपयोग न करने के लिए जुर्माना**

6.1. जो निर्यातक पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण अथवा पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के अन्तर्गत एक विशेष कोटा अवधि अथवा पूरे वर्ष भूतकालीन निष्पादन के अन्तर्गत उसे आबंटित कोटे के 90 प्रतिशत तक निर्यात करता है तो उसे जुर्माना का भुगतान नहीं करना होगा । जो निर्यातक 75 प्रतिशत तक किन्तु 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है, उसे भी अनुपात के हिसाब से जुर्माना देना होगा । यदि कोटे का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे निष्पादन बांड/बैंक गारंटी जब्त कराने के लिए उत्तरदायी होगा । जब भी ऐसा होगा, ये ही शर्तें लागू होंगी ।

6.2. जिन मामल में बैधता अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम उपयोग नहीं हुआ है तो निर्यातक को कोटा वर्ष के भीतर अगली आबंटन अवधि के लिए समय वृद्धि के लिए छूट दी जा सकती है । समय वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र संगत कोटा अवधि के अन्त में एक मास के भीतर दाखिल किए जाएंगे । ऐसे मामलों में, निर्यातक को शेष मात्रा के लिए पैरा 3.3 में दिए गए के अनुसार दुगनी दर पर बैंक गारंटी के साथ एक बांड का निष्पादन करना होगा । पूर्णतया निर्यात में असफल होने पर, पूरी बांड/बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है ।

6.3. इस नीति के अनुसार जिन निर्यातकों को कोटे का आबंटन किया गया है किन्तु जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, भविष्य में वे आबंटन के अयोग्य साबित होंगे और उन पर बिना किसी पक्षपात के इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा सकती है ।

7. **अधिक कोटा आबंटन का पर्यवेक्षण**

वस्त्रायुक्त, बम्बई कोटा प्रशासन से सम्बन्धित मामलों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करना जारी रखेगा । कोटा सम्वय समिति अध्यक्ष, वस्त्रायुक्त और सम्बन्धि निर्यात संवर्धन समितियों के प्रतिनिधि, जो सदस्य होंगे, के साथ मास में एक बार नीति की पुनरीक्षा करेगी । जिन मामलों में विचारों में अन्तर होगा, वस्त्रायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. **सीमा शुल्क निकासी**

निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नामोदिष्ट उचित किसी अन्य निकाय द्वारा व्यक्तिगत प्रेषण के लिए जारी किए गए जहाजरानी बिलों की मूल या अनुलिपि प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत लदान के पत्तन पर पोत लदान की अनुमति दी जाएगी । लेकिन, संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में सीमा शुल्क प्राधिकारी सूती वस्त्र/निर्यात संवर्धन परिषद अथवा किसी अन्य निकाय जिसमें उसके प्रतिनिधि भी शमिल हैं, के द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा शुल्क बीजक सं. 5515 पर पारगमन पृष्ठांकन को भी सत्यापित करेंगे । यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा, फिनलैंड और स्वीडन को सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा उनकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य निकाय व्यक्तिगत सीमित सीमा वाली श्रेणियों को निर्यात प्रमाणपत्र और मूल प्रमाण पत्र (जहां कहीं भी लागू हो) जारी करेगा । उन श्रेणियों के मामले में, जिनकी व्यक्तिगत सीमित सीमा नहीं है, निर्यात संवर्धन परिषद पृष्ठांकन के साथ मूल प्रमाण पत्र जहां कहीं लागू हो, जारी करेगा ।

9. **हथकरघा उत्पादों की निकासी**

जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों और कनाडा की हथकरघा वस्त्रों से तैयार सामग्री के निर्यात का सम्बन्ध है, निर्यात संवर्धन परिषद या अन्य निकायों द्वारा कोटा पृष्ठांकन के बिना वस्त्र समिति के प्रमाणन के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति दी जाएगी ।

10. **भारतीय मदों की निकासी**

'भारतीय मदों' के संबंध में भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित वस्त्र उत्पादों के लिए पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों और कनाडा को निर्यात के लिए वस्त्र समिति अथवा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जाएगी । वे मदें जो भारतीय मदों के रूप में विशिष्टकृत हैं, उनपर संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद अथवा किसी अन्य विधिवत् प्राधिकृत निकाय द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी ।

11. **सवाल दस्तावेजों के लिए औपचारिकताएं**

जहां पर प्रेषण पोतलदान के लिए तैयार है तो कोटा पृष्ठांकन और आवश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्यातक को कोटा प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक पोतलदान दस्तावेज (दो प्रतियों में पोतलदान के साथ) और पोतलदान के अधीन पड़े माल के ब्यौरों को शामिल करते हुए दो प्रतियों में प्रपत्र आवेदन पत्र सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इसे अन्तर्देशीय पत्तन के प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेगा । इसके बाद, दस्तावेज पोतलदान बिल और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे । इन सभी मामलों में सीमा शुल्क से पोतलदान की संख्या और तारीख प्राप्त हो जाने पर पोत वणिक सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद या इसके अन्तर्देशीय पत्तन के उन प्रतिनिधियों को सूचित करना पड़ेगा जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त हुआ है ।

12. निर्यात और पारगमन प्रमाण-पत्र क्रेता के लिए है और इसलिए यह परिषद से प्राप्त हो जाने के पश्चात् पोत वणिको द्वारा अन्य सम्बन्धित प्रलेखों के साथ उसके क्रेता को भेज दिया जाना है ।

13. निर्यात की अनुमति भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी ।

14. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्वोक्त व्यवस्थाओं में कोई भी संशोधन कर सकती है ।

15. निर्यात संवर्धन परिषद के पते इस प्रकार है :—

1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग सेन्टर, 9 मेथ्यू रोड, बम्बई-400004

2. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, 612/714, अशोक एस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th August, 1981

Public Notice No. 62-ETC(PN)/81

EXPORT TRADE CONTROL

Subject : Scheme for exports under OGL-3 of certain fabrics and/or made-ups items made from cotton, wool and mad-made fibres to USA, EEC member states, Canada, Sweden and Finland from 1-1-1982 to 31-12-1982.

1. The Scheme

..**File No. 2(41)/81-EI.**—This scheme relates to the export of certain fabrics and/or made-ups items of (i) cotton, wool and fibres to USA, EEC member states (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark and Greece) Sweden and Canada and (ii) cotton and man-made fibres to Finland for the period 1-1-1982 to 31-12-1982.

2. Product Coverage and Agency for Quota Administration.

The list of categories of textile products covered under this scheme is available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Council. Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, (TEXPROCIL) will allocate quotas for all fabrics and made-ups except woollen fabrics, for which quota allocation will be done by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi (W&WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes, as considered appropriate, with regard to the agencies for quota allocation and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.

3. Systems of Quota Allotment and Division of the Quota Year.

There will be three systems of quota allocation.

3.1. 25 per cent of the annual level will be allocated on the basis of past performance. The balance (75 per cent of the annual level) will be allocable on FCFS Contract Reservation basis and FCFS Ready goods basis in the ratio of 55 : 45 respectively. For the purpose of allotment on the basis of past performance, there will be a single period from 1-1-1982 to 30-9-1982. However, for FCFS Contract Reservation and FCFS Readgoods, the quota year will be divided into two six months periods i.e. 1-1-1982 to 30-6-1982 and 1-7-1982 to 31-12-1982. 60 per cent of quota available under these segments (FCFS Contract Reservation and FCFS Ready-goods) will be allotted during the first period of 40 per cent during the second period. The above periods/systemwise ratios may however be modified by the Government, depending upon the demand patters and other parameters.

3.2 Past Performance Quota

(a) Agency for determining entitlement.—The agency for calculation of the entitlement of quota under Past Performance system in respect of each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. The Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work.

(b) Base Period.—The quota entitlement will be determined for each country category combination segmentwise on the basis of the average of exports during 1980 and during January to June, 1981, the latter period being counted as full year.

(c) Segment-wise Allotment.—The entitlement of each exporter under the past performance system will be determined on pro rata basis with reference to his performance in each country-category in each segment such as handlooms, mill-made powerloom.

(d) Quota Period.—The quota period under this system will be a single period from 1st January, 1982 to 30th September, 1982.

(e) Quota endorsement against PPQ shall not be subject to performance bonds, provided the goods are shipped before 30-4-1982. For quotas retained after 30-4-1982, the exporter will have the option either to execute bank guarantee by 31-5-1982 or to surrender the quotas in part or full before that date.

(f) The shippers of PPQ shall not be required to produce overseas buyers contracts at the time of executing bank guarantees, which they will execute after 30-4-1982 but before 31-5-1982. Shipments effected after April 30, 1982, but before submission of bank guarantees (which should be done before May 31, 1982) will not be subject to bank guarantee.

(g) Transferability of Past Performance Quota.—Past performance quota shall be transferable subject to the following conditions :

(1) An exporter will have the option to transfer any portion of his quota to any other exporter at any time during the year.

(2) The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.

(3) The quota in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferor.

(4) Any exporter, who has transferred quota in a particular category/country to another exporter shall not be eligible to seek transfer from any other exporter to himself in the same category/country.

(5) Transfer of PPQ in a particular country/category shall not be allowed to the exporters who have FCFS Contract Reservation quota in the same country/category.

3.3 FCFS Contract Reservation Quota

For quota allotment on FCFS Contract reservation basis, the exporters will have to submit, alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee for the value calculated at the rate of 50 paise/Kg. in case of all categories/countries, where the unit of allocation is in Kilograms, 5 paise/Square Yard Equivalent in fabric categories of USA and Canada and 12 paise per piece in case of exports of handkerchiefs to EEC and USA. The rates for other categories/countries concerned will be announced by TEXPROCIL. Under this segment, endorsements on shipping bills shall be valid for a period of 21 days and subject to the condition that no endorsements made during any quota period shall be valid

beyond 10 clear days from the expiry of the quota period concerned.

3.4 FCFS Ready Goods

In the case of quota allocation on the basis of FCFS ready goods, the exporters will have to submit the Textile Committee Inspection Certificate, AR4/AR5 forms, wherever applicable, alongwith the application and shipping documents. Shipments against quota allocation on FCFS ready goods basis will have to be effected within 10 clear days from the date of quota endorsement. However this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from Textile Commissioner.

4. Segment-Wise Reservation of Quotas

4.1 Whenever quotas for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective councils, keeping in view the past pattern, and prevailing trends. Depending upon the demand trend, the quantities so fixed may be modified.

4.2 In cases where handlooms and millmade/powerloom items are clubbed together for all allocation, the ratio of handlooms to others will be 2 : 1 for USA and 1 :1 for other quota countries. These ratios may be amended according to demand trends.

5. Slow Moving Items

5.1 In line with the practice followed during the year 1981, the provisions regarding bank guarantees and deposits would be dispensed with in the case of slow-moving items, specially identified for this purpose by the Textile Commissioner on the basis of past experts and prevailing trends.

5.2 For the identified slow-moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL without any bank guarantee or cash deposit.

6. Penalty for Non-Utilisation of Quotas

6.1 An exporter, who exports not less than 90 per cent of quota allotted to him under FCFS Contract Reservation or FCFS readygoods in a particular quota period or within the whole year under PPQ, will not be liable for the payment of penalty. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will have to pay proportionate penalty. If the quota utilisation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of his performance bond/bank guarantee in full. This will be subject to force majeure conditions wherever they arise.

6.2 In cases where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the quota year. Application for extension shall be filed within one month of the end of the relevant quota period. In such cases, the exporter will have to execute a bond supported by bank guarantee at double the rates as given in para 3.3 for the balance quantity. In the case of his failure to export fully, the bond/bank guarantee will be liable to be forfeited in full.

6.3 Exporters to whom quotas are allotted in terms of this policy, but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

7. Supervision over Quota Allotment

The Textile Commissioner, Bombay, will continue to exercise day-to-day supervision over matters relating to quota administration. A quota co-ordination committee Textile Commissioner as the chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy once a month. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner shall be final.

8. Customs Clearance

Shipments will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and the duplicate of the shipping bills for individual consignments, issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose. In respect of USA, however, the Customs authorities would also verify the visa endorsements on the special Customs Invoice No. 5515 issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any authorised body, prescribed for this purpose, including their representatives. In respect of exports to EEC member states, Canada, Finland and Sweden, alongwith quota endorsement, the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin (wherever applicable), in respect of categories having individual restraint limits. In the case of categories, not having individual, restraint limits, the export promotion council will issue alongwith the endorsement, the certificate of origin, wherever applicable.

9. Clearance of Handloom Products

In respect of exports to USA, EEC member states and Canada, of handloom fabrics and made-up articles made from handloom fabrics, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textile Committee without the requirement of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies concerned.

10. Clearance of India Items

In respect of 'India Items' which are Indian traditional folklore textile products shipments will be permitted by the Customs for exports to USA, EEC member states and Canada on the basis of certificates issued by the Textile Committee or All India Handicrafts Board. For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Export Promotion Council concerned of any other duly authorised body will be required.

11. Formalities as to Shipping Documents

Whenever the consignment in ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including Shipping bills in duplicate and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Cotton Textiles Export Promotion Council or to its upcountry port representatives alongwith quota certificate for obtaining quota endorsement and necessary export certificate. Thereafter the documents shall be submitted to the Customs for completion of shipping bills and other formalities. In all these cases, the shippers will be required to inform the Export Promotion Council or its upcountry port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

12. The Export Certificate/visa is meant for the buyer and hence the same, after being obtained from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other connected documents.

13. Exports will be allowed from any port in India.

14. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

15. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Engineering Centre, 9, Mathew Road, Bombay-400004.

2. Wool and Woollens Exports Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981